

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख सहित

2

3

अभिलेख उपस्थापित।

3

अरुण कुमार पिता सरयू प्रसाद, निवास स्थान गाँधी नगर, दक्षिण मटवारी, पोस्ट-हजारीबाग, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कारतकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-कैन्टोनमेन्ट, थाना नं०-157, खाता संख्या-18 प्लॉट संख्या-118/1140, रकवा 0.0287 एकड़ (2.87 डिसमिल) (दो दशमलव आठ सात डिसमिल) भूमि धमेन्द्र कुमार पिता सरयू प्रसाद, निवास स्थान गाँधी नगर, दक्षिण मटवारी, पोस्ट-हजारीबाग, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं भूमि संबंधी कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-314/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 1478/रा० दिनांक 31.03.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 330 दिनांक 17.02.2023 से जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग से प्राप्त प्रतिवेदानुसार -

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि केवाला संख्या 438 दिनांक 09.01.1999 द्वारा खरीदगी हासिल है। खतियान के अनुसार रैयती किस्म की भूमि है। खतियानी रैयत मोती कान्दू वजै० हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 0.75 एकड़ भूमि है। पंजी-11 के अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 0.0550 एकड़ भूमि है। पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-43/X पर अरुण कुमार पिता सरयू प्रसाद के नाम जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2000-01 तक निर्गत है। आवेदक स्वयं जमाबंदी रैयत हैं। आवेदक द्वारा धारित कुल रकवा 0.0550 एकड़ भूमि है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदक के पास रकवा 0.0263 एकड़ भूमि बचती है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन विभाग की भूमि/ सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है तथा BLR Act Section-4h से मुक्त है। विक्रेता का दखल कब्जा है।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाई टिप्पणी ता
1	2	3
	<p>प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।</p> <p>उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में अरुण कुमार पिता सरयू प्रसाद, निवास स्थान गाँधी नगर, दक्षिण मटवारी, पोस्ट-हजारीबाग, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-कैन्टोनमेन्ट, थाना नं0-157, खाता संख्या-18 प्लॉट संख्या-118/1140, रकबा 0.0287 एकड़ (2.87 डिसमिल) (दो दशमलव आठ सात डिसमिल) भूमि धमेन्द्र कुमार पिता सरयू प्रसाद, निवास स्थान गाँधी नगर, दक्षिण मटवारी, पोस्ट-हजारीबाग, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p>अपर समाहर्ता, हजारीबाग</p> <p>अपर समाहर्ता, हजारीबाग</p>	

पेचक